

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-12) विभाग

क्रमांक:- प.9(6)गृह-12/कारा/2015

जयपुर, दिनांक 19 OCT, 2015

आदेश

यत् यह राज्य सरकार कारागार अधिनियम 1894 (केन्द्रीय अधिनियम -9, सन् 1894) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नवीन जेल भवन कस्बा करौली सी मे खसरा नम्बर 9116/2 रकबा 30 बीघा किस्म गै0 मु0 में बना हुआ है, को एतद्वारा स्थायी जेल घोषित करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,




(चेतन देवड़ा)

संयुक्त शासन सचिव, गृह

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महानिदेशक कारागार, राजस्थान, जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त, भरतपुर।
3. कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, करौली।
4. जिला पुलिस अधीक्षक, करौली।
5. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को एक अतिरिक्त प्रति मय साफ्ट प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को आगामी असाधारण राजपत्र में प्रकाशित कर अधिसूचना की दो प्रतियां इस विभाग को भिजवाने का श्रम करे।
6. उप अधीक्षक, जिला कारागृह, करौली।
- ✓ 7. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव, गृह